

**बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग**

पत्रांक-मु0अ0-4 (अ0उ0)-4515-01-242 /2024 - 1750

/पटना, दिनांक- 21.11.2024

प्रेषक,  
संजय कुमार, भा0प्र0से0  
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)  
बिहार, पटना।

विषय:-

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अनुसूचित जाति घटक के अधीन बिहार राज्य के बांका जिला में 01 योजना के उन्नयनार्थ स्तम्भ-6 में अंकित लम्बाई (कि0मी0) एवं स्तम्भ-10 में उन्नयनार्थ तथा पंचवर्षीय अनुरक्षण सहित अंकित राशि पर योजनावार जिनकी कुल राशि रु0 120.35000 लाख रुपये (एक करोड़ बीस लाख पैंतिस हजार रुपये) मात्र है, पर (कुल 01 योजना) प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अनुसूचित जाति घटक के अधीन बिहार राज्य के बांका जिला अन्तर्गत 01 योजना के उन्नयनार्थ समर्पित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जिसकी अनुमोदित राशि 0 से 5 करोड़ के बीच में है पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है जिनके लिए स्तंभ 07 एवं 09 में अंकित कुल राशि 99.97900 लाख एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि रु0-3.78600 लाख (स्तंभ-08) है इस प्रकार कुल राशि 120.35000 लाख मात्र है पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

| SL.No | District | Division | Block | Name of Road                                               | Length (In KM) | Cost. Of Upgradation/ Strengthening with surface (in Lakhs) | Cost. Of 5 year Maintenance (in Lakhs) | Administrative Fund and Contingency Cost (in Lakhs) | Total Estimated Cost (in Lakhs) |
|-------|----------|----------|-------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4     | 5                                                          | 6              | 7                                                           | 8                                      | 9                                                   | 10                              |
| 1     | Banka    | Banka-I  | Banka | Baliyamura Kateli More<br>Dona PMGSY Road To<br>Odhani Dam | 2.200          | 95.69600                                                    | 20.86800                               | 3.78600                                             | 120.35000                       |
|       |          | Total    |       |                                                            | 2.200          |                                                             |                                        |                                                     | 120.35000                       |

2. मांग संख्या-37-मुख्य शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष - 00, लघु शीर्ष -789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष - 0107- मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना (अनुसूचित जाति), विषय शीर्ष-5301 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड - 37-4515-00-789-0107, बजट उपबंध-700 करोड़ रु0 का बजट उपबंध प्राप्त है। बिहार सरकार, वित्त विभाग के पत्रांक- 3758 दिनांक 31.05.2017 की कंडिका 11 के अनुसार प्राप्त बजट के तीन गुणा राशि में से पूर्व के दायित्व के राशि को घटाते हुये नई योजना की स्वीकृति दी जा सकती है।

Dr

Scanned with OKEN Scanner

Divisional Account Officer  
R.W.D. (W) Div. Banka-01

Executive Engineer  
R.W.D. Works Division  
BANKA

Scanned with OKEN Scanner

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

3. मांग संख्या-37 बजट शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु, उपमुख्य शीर्ष- 04-जिला तथा अन्य सड़कें, लघु शीर्ष -105 रख-रखाव तथा मरम्मत, उपशीर्ष-0001 ग्राम सड़क- अन्य रख-रखाव व्यय, विषय शीर्ष -2702 अनुरक्षण एवं मरम्मत, विपत्र कोड- 37-3054041050001 से प्राप्त होने वाली राशि से भारित किया जायेगा जिसके लिये वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2000 करोड़ रु० का बजट उपबंध प्राप्त है। वित्त विभाग के निर्गत संकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 की कंडिका-11 के अनुसार पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि उपलब्ध Bank of Sanction की राशि के अन्तर्गत है।
4. संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, बांका-1 योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
5. सारणी में अंकित योजना का विभागीय रुप से कार्य सम्पादन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
6. इन योजना के चयन के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन संचिका संख्या- मु०अ०-4 (अ०उ०)-4515-01-242 /2024 में दिनांक 23.09.2024 को प्राप्त है।
7. सारणी में अंकित योजना का विभागीय रुप से कार्य हेतु प्रशासनिक अनुमोदन के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार अपर मुख्य सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या- मु०अ०-4 (अ०उ०)-4515-01-242 /2024 में दिनांक 20.11.2024 को प्राप्त है।
8. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व डी०पी०आर० पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
9. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की सभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
10. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
11. संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।
12. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर उक्त योजना हेतु राशि की निकासी की जायेगी।
13. वित्त विभाग के संकल्प सं०-3758 दिनांक, 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
15. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।

17. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यो को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की रिथति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।

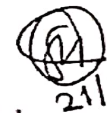
18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- मु0अ0-4 (अ0उ0)-4515-01-242 / 2024 के पृ0-06 / टि0 पर दिनांक-18.11.2024 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

  
21/11/24

(संजय कुमार)  
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- मु0अ0-4 (अ0उ0)-4515-01-242 / 2024 - 1750 / पटना, दिनांक- 21-11-2024  
प्रतिलिपि-संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
21/11/24

(संजय कुमार)  
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- मु0अ0-4 (अ0उ0)-4515-01-242 / 2024 - 1750 / पटना, दिनांक- 21-11-2024  
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त, /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता- 3, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई0टी0 नोडल पदाधिकारी को MIS में अपलोड करने हेतु एवं आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
21/11/24

(संजय कुमार)  
संयुक्त सचिव